

# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

## :: कार्यालय आदेश ::

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक: प.11(7)/वित्त (नियम)/2008 दिनांक:12.09.08 एवं आदेश संख्या एफ. 11(7)/वित्त (नियम) पार्ट-I/2008 दिनांक: 06.08.2008 के अनुसरण में राजस्थान शिक्षा सेवा के निम्नांकित व्याख्याता को राजस्थान पुनरीक्षित वेतनमान नियम 2017 के नियम 14 एवं 15 के तहत उनके नाम के आगे अंकित विवरण अनुसार एसीपी (आश्वासित कैरियर प्रगति) वेतन बैंड (9300-34800)/(15600-39100)/पे मैट्रिक्स लेवल एवं कॉलम संख्या 08 के अनुसार ग्रेड वेतन एवं लेवल संख्या, कॉलम संख्या 9 में अंकित तिथि से स्वीकृत किया जाता है।

क्र.सं.	नाम मय पदस्थापन स्थान (राउमावि/राबाउमावि)	विषय	जन्मतिथि	प्रथम नियुक्ति तिथि	व्याख्याता पद पर चयन का प्रकार	एसीपी स्वीकृति से संबंधित सेवावधि का विवरण	PAY MATRIX LEVER NO/ GRADE PAY	एसीपी स्वीकृति तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	प्रवीण कुमार शर्मा, लसाड़िया (भीलवाड़ा)	भौतिक	08.07.1974	03-07-98	डीपीसी	20 वर्ष	L-13	03-07-18
2	पंकज कुमार गुप्ता, खरैटा (करौली)	भौतिक	14.06.1973	31-12-98	डीपीसी	20 वर्ष	L-13	31-12-18
3	मदन सिंह, सबलपुरा (सीकर)	भौतिक	03.07.1973	12-12-98	डीपीसी	20 वर्ष	L-13	12-12-18
4	अशोक कुमार वशिष्ठ, नीमला (जयपुर)	भौतिक	03.12.1966	29-01-91	पीएससी	10 वर्ष	7500-12000	29-01-01
						20 वर्ष	5400 (PB-2)	29-01-11
5	दिनेश चन्द धोबी, महवा (दौसा)	भौतिक	15.06.1972	16-12-98	डीपीसी	20 वर्ष	L-13	16-12-18
6	तनवीर अहमद, नसीराबाद (अजमेर)	भौतिक	24.11.1970	01-07-98	डीपीसी	20 वर्ष	L-13	01-07-18

उक्त कार्मिकों का वेतन निर्धारण संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा किया जावेगा। इस स्वीकृति एवं वेतन निर्धारण की प्रविष्टि संबंधित व्याख्याता की सेवा-पुस्तिका में आवश्यक रूप से की जावे।

नोट:- क्र.सं. 04 पर अंकित कार्मिक को पूर्व में स्वीकृत 10 वर्षीय वरिष्ठ वेतनमान दिनांक 15.12.2000 के स्थान पर 29.01.2001 से स्वीकृत की जाती है। संबंधित संस्था प्रधान उक्त अवधि के वेतन का समायोजन करें।

(नथमल डिंडेल)

आईएस

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,

राजस्थान, बीकानेर

दिनांक: 21.08.2019

क्रमांक.- शिविरा-मा/संस्था/सी-3/गौगक/एसीपी/स्वीकृति/2019/

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनाथ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- 01- संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, संभाग मुख्यालय।
- 02- संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी जिला मुख्यालय।
- 03- संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, (माध्यमिक) जिला मुख्यालय।
- 04- संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ब्लॉक मुख्यालय।
- 05- सिस्टम एनालिस्ट(संयुक्त निदेशक) कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- 06- संबंधित संस्था प्रधान/संबंधित कार्मिक।
- 07- निजी एच रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान

बीकानेर